(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक एक/निग./विदिशा/भू0रा0/17/6309 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-11-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 99/अपील/2014-15

सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री सौदान सिंह दांगी
निवासी ग्राम थान्नेर तहसील व जिला
विदिशा म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

शैलेन्द्र सिंह पुत्र संतोष सिंह
नावालिग जर्ये सरपरस्त संतोष सिंह पुत्र श्री कमलसिंह दांगी
निवासी ग्राम थान्नेर तहसील व जिला विदिशा म0प्र0

.....अनावेदक

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक-आवेदक
श्री सुनीलसिंह जादौन, अभिभाषक-अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पारूखेडी तहसील विदिशा में अनावेदक द्वारा खसरा नम्बर 32/1 रकबा 0.994 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 33 रकबा 3.066 हैक्टेयर में से 2.977 हैक्टेयर क्रय की गई, जिसका राजस्व अभिलेख में इंद्राज हुआ । तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक एवं आवेदक की आपसी सहमति के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा कर दिया जावे । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुये दिनांक 8-8-2007 को आदेश पारित करते हुये आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज कर दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो धारा 5 के आवेदन पर पारित आदेश दिनांक 9-7-14 से अस्वीकार कर दी गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27-11-2017 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर अभिलेख देखे आलोच्य आदेश पारित किया गया है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा अनावेदक के सरपरस्त पिता द्वारा सहमति शपथपत्र दिनांक 30-6-2007 जो नोटरी द्वारा सत्यापित है उक्त शपथ पत्र में अपीलाधीन भूमि आवेदक के नाम किये जाने में उसको एवं वारिसान को कोई आपत्ति नही होने का उल्लेख किया है तथा तहसीलदार विदिशा द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 4-8-07 के तारतम्य में अनावेदक ने जो कारण दिये है उसमें भी आपसी बंटवारे में उक्त भूमि आवेदक को दिये जाने की सहमति पेश की गई है । आदेश पत्रिका पर अनावेदक के पिता के हस्ताक्षर है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है । अंत में उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कियाजाकर तहसील न्यायालयएवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी का निर्णय सही प्रतीत होता है । अनावेदक के शपथ पत्र एवं तहसील न्यायालय के समक्ष लिये गये कथन एवं आदेश पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर उपरांत लगभग सात वर्ष पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अनावेदक का यह कहा जाना की उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी, मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अभिलेख से स्पष्ट है कि शैलेन्द्र के पिता संतोष ने ही तहसील न्यायालय में सहमति दी थी तथा संतोष ने ही शैलेन्द्र के वली की हैसियत से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की । अर्थात् तहसील न्यायालय का आदेश उनकी पूर्ण जानकारी में था । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय बाह्य होने के कारण अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा भूल की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-11-2017 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-7-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर